कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी

पत्रांक : मान्यता / 4086-87 /2012-13 दिनांक -31-07-12 ।

प्रबन्धक,
के० पी० एस० मेमोरियल
पब्लिक स्कूल, तारापुर
अमेठी

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम -2 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक.................और इस सम्बन्ध में विद्यालय से पश्चावर्ती पत्राचार / निरीक्षण के सन्दर्भ में मै के० पी० एस० मेमोरियल पब्लिक स्कूल, तारापुर, अमेठी को कक्षा 6 से 8 तक हेतु 01 जुलाई 2012 से 30जून 2015 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ :-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नही है, और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नही करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निः शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा........में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पडोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा ।
5. समिति / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नही करेगा। और बालक अथवा उसके माता पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नही करेगा -
   (क) बालक का आयु प्रमाण न होने पर
   (ख) धर्म ,जाति अथवा नस्ल , जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर ।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा ।
   (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नही रोका रखा जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा ।
   (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का भागी नही बनाया जायेगा।
   (तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नही है।
   (चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अर्न्तगत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

Suni
Rani Laxmi B
Sector-14 Vi

Principal
K.P.S. Memorial Public School
Tarapur-Sangrampur-Amethi

Manager
K.P.S. Memorial Public School
Tarapur-Sangrampur-Amethi

(पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अर्न्तवेशन ।

(छः) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तब्यों का र्निवहन करता है और

(सात) अध्यापक निजी अध्यापन किया कलापों के निमित्त स्वयं को नही लगायेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा र्निधारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का अनुसरण करेगा ।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय कें नाम से कोईगैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलायी जायेगी।
11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 (अधिनियम –21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तत्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित्त किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित नही किया जाता है।
12. विद्यालय किसी ब्यक्ति समूह या व्याष्टि संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नही किया जाता है।
13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखाविवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रषित की जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड सं0.....................है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिय इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
15. विद्यालय ऐसी रिर्पोटे और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है। जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
16. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय प्रबन्धन /न्यास और कर्मचारी वर्ग समय –समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्ते।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमेठी।

पृ0सं0,पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमेठी।

Principal
K.P.S. Memorial Public School
Tarapur-Sangrampur -Amethi

K.P.S. ... School
Tarapur-Sangrampur -Amethi

प्राचार्य
जवाहर नवोदय वि...
रायबरेली

Sunita Joshi
Principal
Rani Laxmi Bai Memorial School
Sector 14 Vikas Nagar...